कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री दीपक कुमार,कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- सर्वश्री एस0के0आफसेट प्राइवेट लि0,10 स्पोर्टस काम्पलैक्स एनक्लेव,दिल्लीरोड,मेरठ

प्रा0प0सं0:- 191/2008

प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- प्रार्थी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09-04-2008 प्रस्तुत किया है । प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया गया है कि वह पैकिंग मेटेरियल जैसे गत्ते के डिब्बे आदि का निमार्ण एवं बिक्री के कार्य के साथ पुस्तको आदि को छापने का कार्य जाब वर्क पर करते है । इसमे प्रकाशक उनको कागज (पेपर) तथा मैटर देता है। उनके द्वारा प्रिन्टिग इंक एवं कैमिकल्स आदि अपने पास से प्रयोग कर पुस्तके छाप कर दी जाती है जिससे जाब वर्क पर धनराशि प्राप्त होती है। प्रार्थना पत्र मे निम्न प्रश्नों के उत्तर की जानकारी चाही गयी है :-

(1) क्या उनका जाब वर्क उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर एक्ट 2007 की धारा 2 (au) मे परिभाषित वर्क्स कान्ट्रैक्ट की परिभाषा में आता है ।

(2) यदि उनका जाब वर्क वर्क्स कान्ट्रैक्ट की परिभाषा मे आता है तो उस पर करदेयता क्या है ?

(3) क्या जाब वर्क भुगतान करने वाला व्यक्ति उनके फर्म का टी 0डी0एस0 काट कर जमा कराये अथवा उनके द्वारा ही स्वंय जाब वर्क बिल में कर वसूल कर जमा किया जाय ।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर,मेरठ से आख्या प्राप्त की गई । प्राप्त आख्या मे उल्लेख किया गया है कि उनका कारोबार वर्क्स कान्ट्रैक्ट की परिभाषा के अन्तर्गत आता है क्योकि उनके कार्य मे लेबर तथा मैटेरियल पार्ट अविभाजित रहते है तथा उनके द्वारा किये जाने वाला कार्य किसी व्यक्ति विशेष की ओर से तथा उस व्यक्ति विशेष के लिये ही किया जाता है। जो मैटेरियल उनके द्वारा उक्त संविदा मे अंन्तरित किया जाता है उस पर वैट के अन्तर्गत जो कर की दर है के अनुसार कर देयता होगी । भुगतान करने वाला व्यक्ति को टी0डी0एस0 काटकर जमा करना चाहिए ।

3- प्रार्थी को दिनांक 03-06-2008 के लिए धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नाटिस भेजी गयी । निर्धारित तिथि पर कोई उपस्थित नही हुआ अत: पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व प्राप्त आख्या के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है । प्रार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्नो का उत्तर निम्नप्रकार दिया जाता है :-

(1) प्रार्थी का कार्य वर्क्स कान्ट्रैक्ट की परिभाषा के अन्तर्गत आता है ।

(2) जो मैटेरियल उनके द्वारा उक्त संविदा मे अन्तरित किया जाता है उस मैटेरियल पर वैट के अन्तर्गत लागू कर की दर के अनुसार करदेय है ।

(3) भुगतान करने वाला व्यक्ति को टी0डी0एस0 काट कर जमा करना है ।

4- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र मे उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

25-6-2008

दिनांक- 25 जून 2008

(दीपक कुमार)
कमिश्नर,वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।